



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-02042026-271497
CG-DL-E-02042026-271497

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 227]

नई दिल्ली, बुधवार, अप्रैल 1, 2026/चैत्र 11, 1948

No. 227]

NEW DELHI, WEDNESDAY, APRIL 1, 2026/CHAITRA 11, 1948

वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 अप्रैल, 2026

सं.12/2026-सीमाशुल्क

सा.का.नि. 246(अ).—केंद्रीय सरकार, सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है, नीचे दी गई सारणी के स्तंभ (3) में विनिर्दिष्ट और उक्त सारणी के स्तंभ (2) में यथाविनिर्दिष्ट सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की प्रथम अनुसूची के शीर्षक, उप-शीर्षक या टैरिफ मद के अंतर्गत आने वाले वर्णन के मालों को, जब भारत में आयात किया जाता है, उस प्रथम अनुसूची के अधीन उस पर उद्बहणीय सीमा शुल्क के उस भाग से, जो उक्त सारणी के स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट दर से संगणित राशि से अधिक है, छूट प्रदान करती है, अर्थात् :—

सारणी

क्रम सं.	शीर्षक या उप-शीर्षक या टैरिफ मद	माल का विवरण	दर
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	2814 10 00	एनहाइड्रस अमोनिया	शून्य
2.	2902 30 00	टोल्युइन	शून्य

3.	2902 50 00	स्टाइरीन	शून्य
4.	2903 12 00	डाइक्लोरोमीथेन (मेथिलीन क्लोराइड)	शून्य
5.	2903 21 00	विनाइल क्लोराइड मोनोमर	शून्य
6.	2905 11 00	मेथनॉल (मीथाइल अल्कोहल)	शून्य
7.	2905 12 20	आइसोप्रोपाइल अल्कोहल	शून्य
8.	2905 31 00	मोनोएथिलीन ग्लाइकोल (एमईजी)	शून्य
9.	2907 11 10	फिनॉल,	शून्य
10.	2915 21 00	एसीटिक एसिड	शून्य
11.	2915 32 00	विनाइल एसीटेट मोनोमर	शून्य
12.	2917 36 00	पुरिफ़िड ट्रेफथलिक एसिड (पीटीए)	शून्य
13.	2921 21 00	एथिलीनडायमीन तथा उसके लवण	शून्य
14.	2922 11 10, 2922 11 90, 2922 12 00	डाइ एथेनोलामीन और मोनो एथेनोलामीन	शून्य
15.	2929 10 20	टोल्याइन डाइ-आइसोसाइनेट	शून्य
16.	3102 30 00	अमोनियम नाइट्रेट, चाहे जलीय अवस्था में हो या न हो	शून्य
17.	3817 00 11	लीनियर एल्किलबेंजीन	शून्य
18.	3901	पॉलिमर्स ऑफ़ एथिलीन (एथिलीन-विनाइल एसीटेट के साथ)	शून्य
19.	3902 10 00, 3902 30 00, 3902 90 00	पॉलीप्रोपाइलीन	शून्य
20.	3903 11 00, 3903 19 10, 3903 19 90	पॉलीस्टाइरीन	शून्य
21.	3903 20 00	स्टाइरीन-एक्रिलोनाइट्राइल	शून्य
22.	3903 30 00	एक्रिलोनाइट्राइल ब्यूटाडीन स्टाइरीन	शून्य
23.	3904 10 10, 3904 10 20, 3904 10 90	पॉलीविनाइल क्लोराइड (पीवीसी)	शून्य
24.	3904 61 00	पॉलीटेट्राफ्लोरोएथिलीन	शून्य
25.	3905 12, 3905 19	पॉली (विनाइल एसीटेट)	शून्य
26.	3905 30 00	पॉली (विनाइल अल्कोहल)	शून्य
27.	3906 10 10, 3906 10 90	पॉली (मेथिल मेथाक्रिलेट)	शून्य
28.	3907 10 00	पॉलीऑक्सीमेथिलीन (पीओएम - एसीटल)	शून्य
29.	3907 29	पॉलीऑल्स	शून्य
30.	3907 29 90	पॉलीईथर ईथर कीटोन - पीईईके	शून्य

31.	3907 30 10	एपॉक्सी रेज़िन	शून्य
32.	3907 40 00	पॉलीकार्बोनेट्स	शून्य
33.	3907 50 00	एल्किड रेज़िन	शून्य
34.	3907 61, 3907 69	पॉली (एथिलीन टेरैफ्थैलेट) (पीईटी) चिप्स	शून्य
35.	3907 91 20	अनसैचुरेटेड पॉलिएस्टर रेज़िन	शून्य
36.	3907 91 50	पॉली (ब्यूटिलीन टेरैफ्थैलेट)	शून्य
37.	2912 11 00, 3909 10 10, 3909 20 10, 3909 40 20	फॉर्मल्डिहाइड, यूरिया फॉर्मल्डिहाइड, मेलामाइन फॉर्मल्डिहाइड, फिनाल फॉर्मल्डिहाइड	शून्य
38.	3909 50 00	पॉलीयूरीथेन	शून्य
39.	3911 90 90	पॉलीफिनाइलीन सल्फाइड (पीपीएस)	शून्य
40.	4002	zzपॉली ब्यूटाडीन, स्टाइरीन ब्यूटाडीन	शून्य

2. यह अधिसूचना 2 अप्रैल, 2026 से लागू होगी और 30 जून, 2026 तक (उस दिन सहित) प्रभावी रहेगी।

[फा. सं. 354/1/2026-टीआरयू]

धीरज शर्मा, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 1st April, 2026

No. 12/2026—Customs

G.S.R. 246(E).— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Government, on being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby exempts the goods of the description specified in column (3) of the Table below and falling within the heading, sub-heading or tariff item of the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975) as are specified in the corresponding entries in column (2) of the said Table, when imported into India, from so much of the duty of customs leviable thereon under the said First Schedule as is in excess of the amount calculated at the rate specified in the corresponding entry in column (4) of the said Table, namely:-

TABLE

S.No.	Heading or sub-heading or tariff item	Description of goods	Rate
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	2814 10 00	Anhydrous ammonia	Nil
2.	2902 30 00	Toluene	Nil
3.	2902 50 00	Styrene	Nil

4.	2903 12 00	Dichloromethane (methylene chloride)	Nil
5.	2903 21 00	Vinyl chloride monomer	Nil
6.	2905 11 00	Methanol (methyl alcohol)	Nil
7.	2905 12 20	Isopropyl alcohol	Nil
8.	2905 31 00	Monoethylene Glycol (MEG)	Nil
9.	2907 11 10	Phenol	Nil
10.	2915 21 00	Acetic acid	Nil
11.	2915 32 00	Vinyl acetate monomer	Nil
12.	2917 36 00	Purified Terephthalic Acid (PTA)	Nil
13.	2921 21 00	Ethylenediamine	Nil
14.	2922 11 10, 2922 11 90, 2922 12 00	Di Ethanolamine and Mono Ethanolamine	Nil
15.	2929 10 20	Toluene di-isocyanate	Nil
16.	3102 30 00	Ammonium nitrate	Nil
17.	3817 00 11	Linear alkylbenzenes	Nil
18.	3901	Polymers of ethylene (including Ethylene-vinyl acetate)	Nil
19.	3902 10 00, 3902 30 00, 3902 90 00	Polypropylene	Nil
20.	3903 11 00, 3903 19 10, 3903 19 90	Polystyrene	Nil
21.	3903 20 00	Styrene-acrylonitrile (SAN)	Nil
22.	3903 30 00	Acrylonitrile-butadiene-styrene (ABS)	Nil
23.	3904 10 10, 3904 10 20, 3904 10 90	Polyvinyl Chloride (PVC)	Nil
24.	3904 61 00	Polytetrafluoroethylene	Nil
25.	3905 12, 3905 19	Poly (vinyl acetate)	Nil
26.	3905 30 00	Poly (vinyl alcohol)	Nil
27.	3906 10 10, 3906 10 90	Poly (methyl methacrylate)	Nil
28.	3907 10 00	Polyoxymethylene (POM- acetal)	Nil
29.	3907 29	Polyols	Nil

30.	3907 29 90	Polyether Ether Ketone (PEEK)	Nil
31.	3907 30 10	Epoxy resins	Nil
32.	3907 40 00	Polycarbonates	Nil
33.	3907 50 00	Alkyd resins	Nil
34.	3907 61, 3907 69	Poly (ethylene terephthalate) (PET) Chips	Nil
35.	3907 91 20	Unsaturated polyester resins	Nil
36.	3907 91 50	Poly (butylene terephthalate)	Nil
37.	2912 11 00, 3909 10 10, 3909 20 10, 3909 40 20	Formaldehyde, Urea formaldehyde, Melamine formaldehyde, Phenol formaldehyde	Nil
38.	3909 50 00	Polyurethanes	Nil
39.	3911 90 90	Polyphenylene sulphide (PPS)	Nil
40.	4002	Poly butadiene, Styrene butadiene	Nil

2. This notification shall come into force on 2nd April, 2026 and shall remain in force up to and inclusive of the 30th June, 2026.

[F. No. 354/1/2026- TRU]

DHEERAJ SHARMA, Under Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 अप्रैल, 2026

सं. 13/2026-सीमाशुल्क

सा.का.नि. 247(अ).—केंद्रीय सरकार, सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उप-धारा (1) तथा वित्त अधिनियम, 2021 (2021 का 13) की धारा 124 के साथ पठित प्रावधानों के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है, नीचे दी गई सारणी के स्तंभ (3) में विनिर्दिष्ट और उक्त सारणी के स्तंभ (2) में यथाविनिर्दिष्ट सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की पहली अनुसूची के अध्याय, शीर्षक या उप-शीर्षक या टैरिफ मद के अधीन आने वाले वर्णन के मालों को, जो वित्त विधेयक, 2021 के उक्त खंड के अधीन उस पर उद्धृणीय उतने कृषि अवसंरचना और विकास उपकर जो उक्त सारणी के स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट दर से संगणित की रकम से अधिक है, से छूट प्रदान करती है, -

सारणी

क्रम सं.	टैरिफ मद	माल का विवरण	दर
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	3102 30 00	अमोनियम नाइट्रेट	शून्य

2. यह अधिसूचना 2 अप्रैल, 2026 से लागू होगी और 30 जून, 2026 तक (उस दिन सहित) प्रभावी रहेगी।

[फा. सं. 354/1/2026- टीआरयू]

धीरज शर्मा, अवर सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 1st April, 2026

No. 13/2026—Customs

G.S.R. 247(E).— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), read with section 124 of the Finance Act, 2021 (13 of 2021), the Central Government, on being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby exempts goods of the description specified in column (3) of the Table below and falling within the Chapter, heading or sub-heading or tariff item of the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975) as specified in column (2) of the said Table, from so much of the Agriculture Infrastructure and Development Cess leviable thereon under the said section of the Finance Act, 2021 (13 of 2021), as is in excess of the amount calculated at the rate specified in column (4) of the said Table, namely:-

TABLE

S.No.	Tariff item	Description of goods	Rate
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	3102 30 00	Ammonium nitrate	Nil

2. This notification shall come into force on 2nd April, 2026 and shall remain in force up to and inclusive of the 30th June, 2026.

[F. No. 354/1/2026- TRU]

DHEERAJ SHARMA, Under Secy.